न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –03/2015 (आवन्टन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2015/00048

छीतरलाल पुत्र मथुरालाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

1. रामनारायण पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. रामजस पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. रामस्वरूप पुत्र प्रताप जाति चमार निवासी ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) बावत आवंटन निरस्त करने हेतु आवंटन तारीख 5.5.1976

उपस्थित–

1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री बृजराज सिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट
3. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक –21/05/2024

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 1045 की 15 बीघा नोन कमाण्ड क्षैत्र की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता स्व0 प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 5.5.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो गैर खातेदारी से दर्ज होकर आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई ।
2. प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व दिनांक 05.05.1976 को प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त कराने हेतु दिनांक 19.8.2011 को प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण के पिता व पति प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी को ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा की पुराने ख0नं0 1045 का अन कमाण्ड रकबा 15 बीघा किस्म बंजड बारानी आवंटित की गयी थी तथा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत भूमि कृषि मय करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत दूसरी वर्ष में कृषि योग्य करना होगा । परन्तु आवंटी का उक्त विवादित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार आज दिन कब्जा नहीं रहा तथा उक्त आवंटन भूमि विवादित भूमि पर आवंटी का कब्जा नहीं था ऐसी स्थिति में आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने से किया गया आवंटन स्वतः ही निरस्तनीय है । उक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा भूमि जो आवंटन की गयी थी उसका हाल नया खसरा नम्बर अन्य खसरा नं0 के साथ खसरा नम्बर 1171 की 0.71 हे0 ख0नं0 1177 की 0.37 हे0 ख0नं0 1178 की 0.95 हे0 कायम कर प्रतिपक्षी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण व उसके पिता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है । आवंटी प्रताप की मृत्यु

जिला कलक्टर
कोटा

हो चुकी है उसका आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा और न उसके उत्तराधिकारियों का कब्जा है । अतः आवंटन आदेश दिनांक 5.5.76 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की खसरा नम्बर 1178 की रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 की हद तक निरस्त फरमाया जावें ।

3. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री बृजराजसिंह चौहान का वकालतनामा पेश हुआ । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा नोन कमाण्ड क्षैत्र की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता स्व0 प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 5.5.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो आवंटी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई, तत्पश्चात आवंटी के वारिसान के नाम दर्ज हुई विवादित आराजी हाल ख0नं0 1178 की 0.95 हे0 भूमि पर प्रार्थी नं0 1 का पिछले 45 वर्षो से निरन्तर कब्जा काश्त है जिसे प्रार्थी ने बंजड व खाल खद्दर भूमि को बडी मेहनत कर व पैसा लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा उक्त भूमि प्रार्थी के परिवार की आय का एक मात्र साधन है । भूमि बंजड व खाल खद्दर थी जिसको प्रार्थी ने बडी मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है । उपरोक्त आराजीयात पर जब तक प्रताप जिन्दा रहा तब तक उसका कब्जा काश्त नहीं रहा, ना ही उसने कभी प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी की है । प्रार्थी निर्बाध रूप से उक्त भूमि पर स्व0 प्रताप ने प्रार्थी के कब्जे काश्त में कोई दखल अंदाजी नहीं की है । प्रतिपक्षी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है न तो वह काश्तकार है और ना ही काश्तकारी करते है । प्रतिपक्षी नं0 1 सरकारी कर्मचारी अध्यापक है तथा प्रतिपक्षी नं0 2 विद्युत विभाग में ठेकेदारी करता है, जिसका उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है । प्रतिपक्षीगण राजस्व रिकार्ड में अंकित इन्द्राज का फायदा उठाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में अंकित करवाया है, जिसका उन्हें कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है । विवादित आराजी खसरा नं0 1171 की 0.71 हे0 भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा है । इस प्रकार किसी भी भूमि पर प्रतिपक्षीगण का कब्जा काश्त नहीं है । उक्त आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त आवंटन बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना उद्घोषणा जारी किये बिना सूचना पत्र जारी किये चुपचाप पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है जो हर प्रकार से कानूनी प्रक्रिया अपनाये बिना किये जाने से काबिल निरस्तनीय है । उक्त भूमि आवंटन नियमानुसार किया जाता तो प्रार्थीगण भी समय पर ही उक्त अपने कब्जे काश्त की भूमि के संबंध में आवंटन नियमन करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करते लेकिन उक्त प्रकरण में इस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाने से प्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित रहे है । कानूनन जब भी भूमि किसी व्यक्ति को नियमन की जाती है तो पूर्ण तहकीकात करके भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा है के संबंध में जांच करने के बाद ही नियमन किया जाता है लेकिन इस संबंध में कोई जांच नही की गई है । अतः प्रार्थी का प्रर्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर आदेश जेर आवंटन दिनांक 5.5.76 को प्रार्थी के कब्जे काश्त की खसरा नं0 1178 की रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 की हद तक निरस्त फरमाया जावें । तथा प्रार्थी की उपरोक्त भूमि को आवंटन नियमन करने का आदेश पारित किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा नोन कमाण्ड क्षैत्र की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता स्व0 प्रताप पुत्र रतन निवासी बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को दिनांक 5.5.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी जो अप्रार्थीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी से दर्ज की गई जिसके नवीन खसरा नम्बर 1171 की 0.71 हे0 ख0नं0 1177 की 0.37 हे0 ख0नं0 1178 की 0.95

जिला कलेक्टर
कोटा

हे0 कायम किये गये । तत्पश्चात आवंटी अप्रार्थीगण के पिता के फौत होने पर उक्त आवंटित भूमि अप्रार्थीगण वारिसान के नाम गैर खातेदारी से दर्ज हुई । किन्तु खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा करने से अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के समक्ष 183–बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.7.2011 से प्रार्थी छीतरलाल को उक्त आराजी से बेदखली के आदेश किये गये, जिसकी भी अपील पृथक से प्रार्थी द्वारा इसी न्यायालय में प्रस्तुत की हुई है । इस प्रकार उक्त भूमि पर नियमानुसार आवंटन किया गया है । प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है । अप्रार्थीगण को नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया है, प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन निरस्त कराने का प्रस्तुत किया है, जो प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटन किया है, यदि आवंटन में कोई दोष है तो इस आशय का प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत किया जाता । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम बनियानी में अप्रार्थीगण के पिता प्रताप को खसरा नम्बर 1045 की 15 बीघा नोन कमाण्ड क्षेत्र की भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 5.5.1976 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी, आवंटी फौत हो चुका है, तत्पश्चात उक्त भूमि आवंटी के वारिसान अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । आवंटित भूमि के नये खसरा नम्बर 1171 की 0.71 हे0 ख0नं0 1177 की 0.37 हे0 ख0नं0 1178 की 0.95 हे0 कायम किये गये, उक्त आवंटित भूमि में से खसरा नम्बर 1178 की रकबा 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर प्रार्थी का कब्जा होने से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की आवंटितशुदा भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है । विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि उक्त भूमि पर आवंटी अथवा उसके वारिसान अप्रार्थीगण का आज तक कभी कब्जा नहीं रहा है । अप्रार्थी के अभिभाषक का तर्क है कि उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज है किन्तु खसरा नं0 1178 की 0.95 हे0 में से 0.56 हे0 पर प्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है, कब्जा सुपुर्दगी का आदेश अन्तर्गत धारा 183–बी में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी किया गया है । विद्वान अभिभाषकगण के द्वारा दिये गये अपने तर्क एवं बताये गये तथ्यानुसार हम यह पाते है कि उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता को नियमानुसार आवंटन कमेटी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया है, आवंटन प्रकिया में ऐसी कोई गंभीर त्रुटि जाहिर नहीं आई है, तथा अप्रार्थी के हक में किये गये आवंटन में यदि कोई दोष है अथवा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है तो आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत किया जाता । अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र आधारहीन प्रतीत होता है । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र केवल एक खसरा नं0 1178 की 0.56 हे0 भूमि पर उनका कब्जा होने मात्र से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त अवैध कब्जे को भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा बेदखली के आदेश दिये हुए है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक आधारों के अनुरूप नहीं होने से अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अप्रार्थीगण के हक में दिनांक 5.5.1976 को किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 21.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा